

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत SDO मुकाम कीर्वासा
 बनाव श्री नारायण का
 किस्म मुकद्दमा 53 R.T. Act नं. 57-18 सन्

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए
21/5/18	<p>राजस्व लोक अदालत अभियान न्याय आपके द्वार 2018 के तहत कैम्प कोर्ट <u>निजुम</u> पर प्रार्थी द्वारा इस आशय का वाद पत्र अन्तर्गत धारा <u>53</u> आर. टी. एक्ट के तहत पेश किया कि <u>शामन्त/शमश/बालि पुर्विया एवं नारायण, 26/9/18, प्रकार/पिता व श्री-चन् पुर्विया के मापपी वाली गाम, 3/1/18 02/1/18 परियोजना गमन</u></p> <p>पत्रावली दर्ज रजिस्टर की जाकर वादी एवं प्रतिवादी को सुना गया। प्रतिवादी द्वारा कोई आपत्ति दर्ज नहीं कराई गई।</p> <p>अतः वाद वादी स्वीकार किया जाकर आदेश दिया जाता है कि मौजा <u>निजुम</u> ① <u>शामन्त/शमश, पुर्विया Ho निजुम</u> <u>2647 0.58 7-54</u> ② <u>नारायण, 26/9/18, प्रकार/श्री-चन्, 26/9/18, प्रकार/पिता व श्री-चन्</u> <u>2647 0.57 7.41</u> ③ <u>शामन्त/शमश, 1/2 नारायण, रतम, प्रकार/श्री-चन् के 1/2 नारायण, 26/9/18, प्रकार/पिता व श्री-चन्</u> <u>2646 0.02</u></p> <p>इसी अनुसार डिक्री जारी की जाकर पालना हेतु तहसीलदार बडीसादडी को लिखा जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर रो कम हो।</p>	

(जितेन्द्र कुमार पाण्डे)
 RAS
 पीठासीन अधिकारी, लोक अदालत
 उपखण्ड अधिकारी एवं
 पदेन सहायक कलेक्टर
 बडीसादडी (राज.)



Web Copy - Not Official